



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236548
CG-DL-E-14062022-236548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2568]
No. 2568]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 13, 2022/ज्येष्ठ 23, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 13, 2022/JYAISTHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2022

का.आ. 2695(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में NH326 के कि.मी. 0 से कि.मी.3 (धारकोते) तक के भू-खण्ड के निर्माण (ओडिशा राज्य में एनएच -326 के किमी 0/0 से 52/0 (धौगांव से तप्तपानी खंड) तक पक्के कंधों के साथ 2-लेन को चौड़ा करना), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, धराकोट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

ओडिशा राज्य में एनएच -326 के किमी 0/0 से 52/0 (धौगांव से तप्तपानी खंड) तक पक्के कंधों के साथ

2-लेन को चौड़ा करना

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: गंजाम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: धराकोट					
गांव का नाम: जी. ढऊगां					
1	1	निजी	बिल्ला	0.2490000(एकर)	0.1007689
2	2	निजी	बर्षधर	0.2110000(एकर)	0.0853905
गांव का नाम: पंकलबाडी					
1	1109	निजी	बिल्ला जाला सचित डू फसली	0.0650000(एकर)	0.0263051
2	1110	निजी	बिल्ला जाला सचित डू फसली	0.0280000(एकर)	0.0113314
3	1111/3510	सरकारी	नयन ज़ोरी	0.0170000(एकर)	0.0068798
कुल				0.5700	0.2307

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2022

S.O. 2695(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening to 2-Lane with paved shoulders from km 0/0 to 52/0 (Dhaugaon to Taptapani Section) of NH-326 in the state of Odisha), maintenance, management and operation of NH326 in the stretch of land from Km 0 to Km3 (Dharakote) in the district of GANJAM in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in

the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Dharakote in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Widening to 2-Lane with paved shoulders from km 0/0 to 52/0 (Dhaugaon to Taptapani Section) of NH-326 in the state of Odisha

State: ODISHA		District: GANJAM			
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dharakote					
Village: G. Dhaugaon					
1	1	Private	Billa	0.2490000(Acre)	0.1007689
2	2	Private	Barshadhar	0.2110000(Acre)	0.0853905
Village: Pankalabadi					
1	1109	Private	Billa Jala Sechita Do Phasali	0.0650000(Acre)	0.0263051
2	1110	Private	Billa Jala Sechita Do Phasali	0.0280000(Acre)	0.0113314
3	1111/3510	Government	Nayan Zori	0.0170000(Acre)	0.0068798
Total				0.5700	0.2307

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A2]

RAJESH GUPTA, Director